

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022)

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।																																									
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।																																									
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बरगवां एवं पश्चिम सरई में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पाईप लाईन डालने का कार्य किया जाना है। पाइप लाइन विस्तार में वनमंडल सिंगरौली की निम्नानुसार भूमि प्रभावित हो रही है। <table><tr><td>जिला</td><td>वनमंडल</td><td>परिक्षेत्र</td><td>कक्ष क्रमांक</td><td>रकबा हे.में</td></tr><tr><td rowspan="16">सिंगरौली</td><td rowspan="16">सिंगरौली</td><td rowspan="2">बरगवां</td><td>RF 237</td><td>0.2865</td></tr><tr><td>RF 238</td><td>0.0471</td></tr><tr><td rowspan="14">पश्चिम सरई</td><td>PF 643</td><td>0.5570</td></tr><tr><td>PF 644</td><td>0.1329</td></tr><tr><td>PF 645</td><td>0.1522</td></tr><tr><td>RF 699</td><td>0.3811</td></tr><tr><td>PF 703</td><td>0.0248</td></tr><tr><td>PF 704</td><td>0.0195</td></tr><tr><td>PF 655</td><td>0.3062</td></tr><tr><td>PF 657</td><td>0.3748</td></tr><tr><td>PF 658</td><td>0.0631</td></tr><tr><td>RF 585</td><td>0.2270</td></tr><tr><td>RF 586</td><td>0.1173</td></tr><tr><td>RF 589</td><td>0.0051</td></tr><tr><td>PF 606</td><td>0.1094</td></tr><tr><td>PF 605</td><td>0.0293</td></tr></table>	जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	सिंगरौली	सिंगरौली	बरगवां	RF 237	0.2865	RF 238	0.0471	पश्चिम सरई	PF 643	0.5570	PF 644	0.1329	PF 645	0.1522	RF 699	0.3811	PF 703	0.0248	PF 704	0.0195	PF 655	0.3062	PF 657	0.3748	PF 658	0.0631	RF 585	0.2270	RF 586	0.1173	RF 589	0.0051	PF 606	0.1094	PF 605	0.0293
जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में																																							
सिंगरौली	सिंगरौली	बरगवां	RF 237	0.2865																																							
			RF 238	0.0471																																							
		पश्चिम सरई	PF 643	0.5570																																							
			PF 644	0.1329																																							
			PF 645	0.1522																																							
			RF 699	0.3811																																							
			PF 703	0.0248																																							
			PF 704	0.0195																																							
			PF 655	0.3062																																							
			PF 657	0.3748																																							
			PF 658	0.0631																																							
			RF 585	0.2270																																							
			RF 586	0.1173																																							
			RF 589	0.0051																																							
			PF 606	0.1094																																							
			PF 605	0.0293																																							

				RF 660	0.0657
				RF 684	0.0436
				RF 697	0.0034
				RF 698	0.1708
				PF 705	0.2503
				PF 708	0.1093
				PF 654	0.3136
				RF 581	0.1154
				PF 592	0.0178
				PF 593	0.2751
				PF 594	0.4696
				PF 595	0.0231
				PF 596	0.1361
				PF 670	0.1210
				योग:-	4.9481

वनमण्डल की प्रचलित कार्यआयोजना अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि में से कक्ष क्रमांक आर.एफ.-237, 238, 699, 684, 697, 698 एवं पी.एफ. 643, 644, 645, 703, 704, 655, 657, 606, 705, 708, 654 हाथी कारीडोर में सम्मिलित है।

वनमण्डल की कार्यआयोजना में हाथी कारीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।

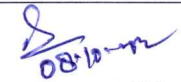
(अ) 2.47 (9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण, डिपो की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।

(ब) 2.47 (10) कारीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये।

कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 4.9481 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पेय जल पाइप लाइन विस्तार हेतु 4.9481 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 08.10.2022
स्थान: रीवा


 (आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)
 मुख्य वन संरक्षक
 रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)